



क्र./बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2014-15/1318
प्रति,

रायपुर, दिनांक05.05.14.....

1. प्राचार्य,
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. प्राचार्य,
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर

विषय :- बी.एड.प्रवेश (विभागीय) 2014-15 की प्रवेश प्रक्रिया बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण 2014-15 हेतु प्रवेश प्रक्रिया परिषद् द्वारा पिछले वर्षों की भाँति निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

1. आप अपने कार्यक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से शिक्षकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30.05.14 तक प्राप्त करेंगे। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) यदि स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल में कार्यरत है तो वे अपने आवेदन को मुख्यकार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) से प्रति हस्ताक्षर कराकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे और यदि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्कूल में कार्यरत है तो वे अपने आवेदन को मुख्यकार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) से प्रति हस्ताक्षर उपरान्त सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, /सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग शिक्षकों से 15.05.14 तक इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेंगे। प्राप्त आवेदनों को पद व वरिष्ठता के आधार पर अग्रेषित कर नामीनल रोल सहित संबंधित शिक्षा महाविद्यालय को भेजेंगे। आप जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में तत्काल पत्र द्वारा सूचित करें। उन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे बी.एड.प्रवेश प्रक्रिया 2014-15 हेतु समय पर सूचना एवं आवेदन का प्रारूप प्रसारित करें तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें। आवेदन पत्र तथा निर्देश एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> पर भी उपलब्ध है इसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी देवें तथा सूचना बोर्ड पर भी चस्पा करें। अनुदान प्राप्त अशासकीय मान्यता प्राप्त शालाओं के शिक्षकों के आवेदनों का नामीनल रोल पृथक से बनाया जावे। एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम के अनुसार गठित चयन समिति ही बी.एड.प्रवेश के लिए भी होगी।

उपरोक्तानुसार चयन समिति गठित करें तथा चयन की कार्यवाही पूरा कर चयन सूची को दिनांक 10.06.2014 तक जारी करें तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को देवें जिससे वे संबंधित को निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु कार्यमुक्त कर सकें, ताकि अध्यापन कार्य 17.06.14 से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो। चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची की प्रति सूची जारी करने के ही दिवस परिषद् को आवश्यक रूप से भेजे तथा ई-मेल scertcg@gmail.com पर ई-मेल करें ताकि इसे एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

2. बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है-

2.1 आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)/प्रधानपाठक, उच्च प्राथमिक शाला/उ.श्रेणी शिक्षक/शिक्षक (पंचायत)/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) जो NCTE के नाम्स अनुसार अर्थात् 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता रखते हैं। SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग के लिए इस न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बी.एड. पात्रता के लिए स्नातक स्तर की उपाधि मान्य हैं, परन्तु स्नातक में प्राप्तांक निर्धारित प्राप्तांक से कम है तो स्नातकोत्तर के प्राप्तांक यदि निर्धारित प्राप्तांक अथवा इससे अधिक है तो स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। चयन हेतु पद का वरियता क्रम निम्नानुसार होगा -

1. व्याख्याता/प्रधानपाठक उच्च प्राथमिक शाला/उच्चश्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक प्राथ.शाला।
 2. व्याख्याता (पंचायत)/शिक्षक (पंचायत)।
 3. सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)।
- 2.2 उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षक जो कि निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा स्नातक डी.एड. प्रशिक्षित हों तो उसे भी बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 2.3 प्रवेश हेतु चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा। वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।
- 2.4 परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- 2.5 आवेदक की अधिकतम आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।
- 2.6 इस वर्ष से बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम के सीटों को स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय प्रशासन विभाग के शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है।
- 2.7 किसी एक विभाग की सीटें रिक्त रहती हैं तो दूसरे विभाग के शिक्षकों से सीटों को परस्पर निम्नानुसार भरा जायेगा -

- I. किसी विभाग की सीटें रिक्त रहने पर उसी विभाग से पद वरिष्ठता से सीट भरी जावेगी उसके पश्चात् भी सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के क्रम से भरी जाएगी।
जैसे स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता संवर्ग की सीट रिक्त रहने पर उसी विभाग के प्रधानपाठक पूर्व मा.शा./उ.श्रेणी शिक्षक से भरी जाएगी। विभाग की सीटें इस प्रक्रिया के बाद भी रिक्त रहने पर ये सीटें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से इसी क्रम में भरी जाएगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग से इसी क्रम में भरी जाएगी।
- II. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सीटें परिवर्तन करने के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो ये सीटें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग के व्याख्याता (पंचायत) शिक्षक (पंचायत) से पद वरिष्ठता क्रम में भरी जायेगी।

- III. शिक्षक (पंचायत) उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक के आवेदनों पर वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जायेगा।
- IV. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था की सीट रिक्त रहने पर रिक्त सीट को क्रमशः स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग के पद वरिष्ठता क्रम में भरी जावेगी।
- 2.8 समस्त आवेदकों को आवेदन के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति /पदोन्नति आदेश की छायाप्रति तथा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो जमा करना होगा अन्यथा उनके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।
- 2.9 अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को संलग्न प्रारूप में 10 रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक के लिए उनके द्वारा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना होगा, तभी उनके आवेदन को मान्य किया जाएगा। इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित कराना अनिवार्य होगा।
- 2.10 अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक, संस्था प्रमुख से अपने कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप, नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करेंगे।
- 2.11 विभागीय आवेदकों से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

3. अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेकलिस्ट निम्नानुसार होगा -

- आवेदक की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।
 - आवेदक के विरुद्ध कोई जांच/आपराधिक मामला/न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
 - परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें।
 - आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि से संबंधित सेवा पुस्तिका में अंकित पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न नहीं करने पर आवेदन को अग्रेषित न करें।
 - संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
 - स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी एक में अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा अनु.जाति./अनु.जन.जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर ही आवेदन का अग्रेषण करें। छूट के लिए SC/ST तथा OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. चयन के समय यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि अग्रेषणकर्ता अधिकारी आवेदन का अग्रेषण चेक लिस्ट अनुसार किये है अथवा नहीं। आवेदक उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से भी प्राप्त कर सकते हैं।

5. दोनो शिक्षा महाविद्यालयों में सीटों का बटवारा निम्नानुसार है :-

क्र	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग		आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग		पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग		अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था	कुल योग
		व्याख्याता	प्र.पाठक पूर्व. माध्यमिक शाला /उ.श्रे.शि. /शिक्षक (पंचायत)/ प्र. पाठक प्राथमिक शाला	व्याख्याता	प्र.पाठक पूर्व. माध्यमिक शाला /उ.श्रे.शि. /शिक्षक (पंचायत)/ प्र. पाठक प्राथमिक शाला	व्याख्याता (पंचायत)	शिक्षक (पंचायत)		
1	शास.शिक्षा महावि.रायपुर	15	14	15	14	14	12	03	87
2	शास. शिक्षा महावि. बिलासपुर	15	14	15	14	14	10	03	85

6. चयनित शिक्षकों का वेतन उनके पूर्व में पदस्थ संस्था से ही आहरण किया जायेगा।
7. प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक भी आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से ही संबंधित शिक्षा महाविद्यालयों में प्रस्तुत करेंगे।
8. प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

(अनिल राय)
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 25.04.14

पृ.क्र./बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2014-15/ 1319
प्रतिलिपि:

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनबाड़ा, रायपुर।
5. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग।

(अनिल राय)
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

बी.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

सत्र 2014-15

प्रति,

प्राचार्य,

.....
.....



विषय: बी.एड. सत्र 2014-15 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) :
2. ई मेल :
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर :
4. विभाग स्कूल शिक्षा/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग/
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/अनुदान प्राप्त
अशासकीय शाला/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य
5. कार्यरत संस्था का नाम :
6. I. जन्म तिथि (अंकों में) :
- (शब्दों में) :
- (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- II. वर्ग - SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/UR वर्ग (प्राप्तांक में छूट के लिए
जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
7. 01.07.14 को आयु : वर्ष माह दिन
8. नियुक्ति दिनांक -
(अ) प्रथम नियुक्ति दिनांक
- (पदभार ग्रहण करने का दिनांक)
- (ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति दिनांक व पद
- व पद
- (वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश की छायाप्रति तथा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें सीधी
भर्ती की स्थिति में पदभार ग्रहण करने का दिनांक अंकित हो संलग्न करें अन्यथा ऐसा नहीं करने पर
आपके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।)
9. शैक्षणिक योग्यता -

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	पी.एच.डी./अन्य					

(अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

9. निम्नलिखित में से जिसकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न हो उनके सामने सही का चिन्ह (✓) लगायें।
- (1) हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
 - (2) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
 - (3) स्नातक की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
 - (4) स्नातकोत्तर की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि यदि स्नातक में प्राप्तांक कम हो तो।
 - (5) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
 - (6) जाति प्रमाण-पत्र [केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए] की सत्य प्रतिलिपि।
 - (7) विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्य होने का प्रमाण-पत्र।
 - (8) आचरण प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि। (विभागीय शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।)
 - (9) सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति पर पदभार ग्रहण करने आदेश एवं दिवस अंकित हो।

10. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण –

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा/करूँगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि बी.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम

पद

पता

(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

11. अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेकलिस्ट निम्नानुसार होगा –

- आवेदक की आयु प्रवेश वर्ष के 1 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक के विरुद्ध कोई जांच/आपराधिक मामला/न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित सेवा पुस्तिका में अंकित पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न नहीं करने पर आवेदन को अग्रेषित न करें।
- संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी एक में अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अनु.जाति./अनु.जन.जाति तथा पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर आवेदन का अग्रेषण करें छूट के लिए SC/ST तथा OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

12. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का उसकी सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक गत वर्ष से (वर्तमान पद) पद पर पदांकित है। आवेदक का कार्य व व्यवहार हैं।

दिनांक

अग्रेषणकर्ता (संस्था प्रमुख) के हस्ताक्षर
पद मुद्रा

13. स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियाँ विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/प्रशिक्षण संस्थान में पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं। चेक लिस्ट के अनुरूप जांच की जा चुकी है।

दिनांक

प्रति हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिए -

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर
सहायक आयुक्त
अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग
पद मुद्रासंभाग (छ.ग.)

14 . पंचायत विभाग के व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत), सहा. शिक्षक (पंचायत) हेतु -

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं का सेवा पुस्तिका से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक पद पर कार्यरत है। आवेदक का इस पद पर नियुक्ति दिनांक.....है। (सीधी भर्ती के प्रकरण में पदभार ग्रहण करने का दिनांक भी अंकित करें।)

प्रति हस्ताक्षर
मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला /जनपद पंचायत
पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

15. नगरीय प्रशासन विकास विभाग के व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) हेतु :

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं का सेवा पुस्तिका से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक पद पर कार्यरत है। आवेदक का इस पद पर नियुक्ति दिनांक..... है। (सीधी भर्ती के प्रकरण में पदभार ग्रहण करने का दिनांक भी अंकित करें।)

प्रति हस्ताक्षर

नगर निगम/मुख्य नगरपालिका

/नगर पंचायत अधिकारी

पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

पद मुद्रा

16. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए नोटरी से सत्यापित निम्नलिखित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। (शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर देना अनिवार्य होगा)

मैंपिता..... उम्र..... दिनांकसे तकसंस्था मेंपद पर कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद 6 साल तक इसी संस्था में कार्य करता रहूंगा। एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर के सदस्य इस 6 साल की अवधि में मेरे संस्था में आकर इसकी जांच कर सकेंगे। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

गवाह के हस्ताक्षर तथा पता

1.

2.

17. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था के आवेदक के संस्था प्रमुख से निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता पता मेरी संस्था में से तक कार्यरत है। मेरी संस्था को..... सत्र से शासन से अनुदान प्राप्त है।

उक्त आवेदक बी.एड.प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगातार 6 वर्षों तक मेरी संस्था में कार्य करते रहेंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम

पता

नोट -व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत), सहा. शिक्षक (पंचायत) के आवेदनों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विकासखण्ड अधिकारी के पश्चात् संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त जो (लागू हों) में अग्रेषण हेतु जमा करेंगे। बिन्दु क्रमांक 11 अनुसार संस्था प्रमुख से भी अग्रेषण करना अनिवार्य होगा।